

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 19/2025

प्रार्थी -

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी -

अक्षय बोहरा पुत्र रतनलाल जाति
जैन निवासी जूना केराडू मार्ग,
बाड़मेर (मैसर्स अक्षय ट्रेडिंग कंपनी
डी-2 कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर का
विक्रेता व मालिक)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं
मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 07.07.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(ii) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान मैसर्स अक्षय ट्रेडिंग कंपनी डी-2 कृषि उपज मण्डी, बाड़मेर पर निरीक्षण दिनांक 22.02.2025 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ मिर्ची पाउडर (लूज) 10 किलो के कट्टे में भरी हुई थी, को गिलावट का होने के शक पर नियमानुसार 2 किलो मिर्ची पाउडर (लूज) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-2775 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ मिर्ची पाउडर (लूज) का नमूना वास्ते जांच राज्य केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को भिजवाया गया। राज्य केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर द्वारा रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025 में उक्त खाद्य पदार्थ मिर्ची पाउडर (लूज) का नमूना को **Contravenes Regulation** बताया गया जिसकी अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।



Kya
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

2. अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब में पेश किया कि अप्रार्थी उक्त मिर्ची पैकिंग में बेचते हैं तथा मिर्च के पैकेट फट जाने से उक्त मिर्ची पाउडर को एक कटे में एकत्रित कर रहे थे, उसी समय अप्रार्थी की दुकान पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लाल मिर्च पाउडर का सैंपल लिया गया। इससे पूर्व अप्रार्थी पर इस प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज नहीं है। अतः अप्रार्थी ने उक्त प्रकरण का निस्तारण करवाने का निवेदन किया है।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की राज्य केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 05.03.2025 में उक्त नमूना **Contravenes Regulation because it sold in loose condition** स्तर का पाया गया है। इस पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थी को धारा 46 की उप-धारा 4 के अधीन नोटिस जारी किया गया किन्तु अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस पर प्रार्थी की ओर से यह परिवाद प्रस्तुत होने पर जरिये नोटिस जवाब हेतु अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए इस अपराध की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं करते हुए नरम दृष्टि रखने का निवेदन किया है। अप्रार्थी जो खाद्य पदार्थ अपने प्रतिष्ठान में रखकर ग्राहकों को विक्रय किया जा रहा है तो उसकी गुणवत्ता के लिए उसका उत्तरदायित्व खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत अप्रार्थी का है। लिहाजा अप्रार्थी के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित है।
4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर रुपये 5,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 07.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजेन्द्रसिंह चौदाकत) जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर